राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः–ई–18/एम/मृआ/09/1360 दिनांकः– 25-9.09

समस्त संयुक्त निदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोन राज0
समस्त अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय समूह, राज0
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज0
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज0

विषयः– मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के तहत भिजवाये जाने वाले प्रकरण के संबंध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के तहत भिजवाये जाने वाले प्रकरण निम्न बिन्दूओं के अनुसार तैयार कर भिजवाये जायें:–

1– मूल आवेदन पत्र नियम 1996 के अन्तर्गत दो प्रारूप में भाग 4 एवं 5(2) की पूर्ति कर तथा भाग 3 एवं 5 में साक्ष्य के हस्ताक्षर पूर्ण नाम पते सहित एवं आवेदक की फोटो प्रमाणित कर भिजवाये

2– आवेदन पत्र का भाग 1 एवं 2 भी प्रमाणित कर भिजवाये ।

3– मृतक कर्मचारी का मृत्यु प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति भिजवाये ।.

4– आश्रित की जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, अन्य संबंधित प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियॉ भेजें।

5– आवेदित आश्रित के दो चरित्र प्रमाण पत्र (अलग–2 अधिकारियों से जारी) भेजें ।

6– मृतक के परिवार के सभी सदस्यों की मासिक आय का शपथ पत्र प्राप्त कर भिजवाये ।

7– परिवार का कोई सदस्य केन्द्र/राज्य/बोर्ड/निगम में कार्यरत नहीं है का शपथ पत्र निम्न प्रारूप में परिवार के मुखिया एवं आवेदक से प्राप्त कर भिजवाये मेरे पति/पत्नी/पिता/माता/ स्व0 श्री/श्रीमती...................की मृत्यु राज्य सेवा में रहते हुए दिनांक ....को हो गई है कि मृत्यु पश्चात मृतक के किसी भी आश्रित को नियुक्ति नहीं दी गई है तथा मृतक के आश्रित परिवार का कोई भी सदस्य कर्मचारी की मृत्यु के समय केन्द्र सरकार किसी भी राज्य सरकार अथवा केन्द्र/किसी भी राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन, निगम में राजकीय सेवा में कार्यरत नही था एवं वर्तमान में भी राजकीय सेवा में कार्यरत नहीं है।

8– आपके कार्यालय का इस आशय का प्रमाण पत्र भेजें कि स्व0 श्री....................पद .... पदस्थापन स्थान........................की मृत्यु राज्य सेवा में रहते हुए दिनांक.......... को हो चुकी है एवं उनके स्थान पर उनके परिवार के किसी आश्रित को आपके कार्यालय द्वारा किसी भी पद पर नियुक्ति नही दी गई है तथा मृतक के आश्रित परिवार का कोई भी सदस्य कर्मचारी की मृत्यु के समय केन्द्र सरकार किसी भी राज्य सरकार अथवा केन्द्र/किसी भी राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन, निगम में राजकीय सेवा में कार्यरत नही था एवं वर्तमान में भी राजकीय सेवा में कार्यरत नहीं है ।

9– मृतक कर्मचारी का नाम राज्य सेवा से विलोपित/पृथक करने संबंधी आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न कर भिजवाये ।

10–मृतक कर्मचारी की सेवा पुस्तिका के पृष्ठ 1 से 4 एवं अंतिम पृष्ठ जिस पर मृत्यु का इन्द्राज किया गया है, की सत्यापित प्रति संलग्न कर भिजवाये ।

11–परिवार के सभी बालिग सदस्यों से सहमति शपथ पत्र प्राप्त कर भेजें ।

12–आवेदक विवाहित है अथवा अविवाहित अगर विवाहित है तो उसकी संतानों का विवरण मय जन्म प्रमाण पत्र शपथ पत्र में प्राप्त कर भिजवाये ।

13–वारिसों की जानकारी जो सरपंच/तहसीलदार द्वारा तसदीक हो प्राप्त कर भेजें ।

14–मृतक आश्रित आवेदन पत्र पर संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर करवाकर भिजवाये ।

15–आवेदन पत्र के साथ स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूचना भी भेजी जाये ।

16–मृतक की नियमित/निरन्तर सेवा का प्रमाण पत्र भिजवाये ।

17–आवेदक आश्रित से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर भिजवाये कि नियुक्ति पश्चात आवेदक द्वारा स्व0 श्री...........................के आश्रित परिवार के सदस्यों का उचित रूप से भरण पोषण किया जायेगा ऐसा नहीं करने की स्थिति में सेवाएं समाप्त की जा सकेगी ।

यदि आवेदन पत्र आवेदक द्वारा 90 दिवस के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया है, न्यूनतम आयु सीमा 16 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बीच किया गया हो। जिसमें कमशः समय सीमा में, आयु सीमा में शिथिलन की आवश्यकता होती है, ऐसे प्रकरणों के संबंध में निम्न बिन्दू भी देखें जाये:–

1– आश्रित आवेदक द्वारा आवेदन देर से प्रस्तुत करने के कारणों से अवगत करावे तथा मृतक के परिवार की दयनीय आर्थिक स्थिति के बारे में अपनी स्पष्ट टिप्पणी भी प्रस्तुत करें एवं आप संतुष्ट है कि परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय है ।

2– आश्रित परिवार की सभी स्त्रोतों से प्राप्त मासिक आय का प्रमाण पत्र जो तहसीलदार द्वारा जारी हो प्राप्त कर भिजवाये ।

3– यदि आप द्वारा प्रस्ताव विलम्ब से प्रस्तुत किये गये है, तो पूर्ण औचित्य सहित भिजवाये ।

अति0 निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज0 जयपुर

प्रतिलिपि :- प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय ।